

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2023/२७०

रीवा दिनांक : २०-५-२०२३

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
जनता महाविद्यालय, जनेह
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2022–2023 बावत ।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15-02-2023 के आइटम क्रमांक 3(02) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिणियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2022–2023 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –


क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.ए. द्वितीय वर्ष (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर, अंग्रेजी, संस्कृत-प्रत्येक समूह-120सीट।
2	बी.एससी. द्वितीय वर्ष (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर-प्रत्येक समूह-120सीट।
3	एम.ए. उत्तरार्द्ध भूगोल, समाजशास्त्र-प्रत्येक विषय-60सीट।
4	एम.एससी. उत्तरार्द्ध बाटनी, जुलाजी, कमेस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स-प्रत्येक विषय-60सीट।

नोट –

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय समृद्ध करें।


उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर 100=00 रुपये के स्टाम्प पर शपथपत्र दिया जाय कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2023–2024 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
4. सहायक कुलसचिव – परीक्षा।
5. सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
6. वित्त नियंत्रक।
7. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
8. कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक।
9. नोडल अधिकारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)